

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0, जयपुर

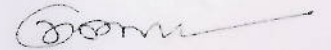
क्रमांक— एफ.4(ई) (1/6)/अलेसे—III/512-517

दिनांक 26-4-12

कार्यालय आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ.4(ई)(1)(6)अलेसे—III/9395-9400 दिनांक 05.12.2011 के क्रम में श्री योगेन्द्र बागड़ा, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय— निदेशक निरीक्षण विभाग, जयपुर की वित्त (जीएण्डटी) विभाग में अटैचमेन्ट अवधि जुलाई 2012 तक के लिए बढ़ाई जाती है।

यह आदेश वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प2(5)वित्त/राजस्व/11 दिनांक 13.04.2012 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।


निदेशक

क्रमांक— एफ.4(ई) (1/6)/अलेसे—III/512-517

दिनांक 26-4-12

• प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है—

1. उप शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प2(5)वित्त/राजस्व/11 दिनांक 13.04.2012 के सदर्भ में
2. उप शासन सचिव वित्त (जीएण्डटी) विभाग शासन सचिवालय जयपुर।।
3. निदेशक निरीक्षण विभाग, जयपुर।
4. कोषाधिकारी, सचिवालय, जयपुर।
5. श्री योगेन्द्र बागड़ा, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय— निदेशक निरीक्षण विभाग, जयपुर
6. निजी सहायक, निदेशक कोष एवं लेखा।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पंजिका।
8. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II)